अति आवश्यक / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

उप शिक्षा निदेशक / प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
अलीगढ।

सेवा में,

प्राचार्य / विभागाध्यक्ष
समस्त निजी डी0एल0एड0 संस्थान
जनपद अलीगढ।

पत्रांकःडायट / 2032–35 / 2021–22 दिनांकः– 21/09/21

विषयः–**शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अर्न्तगत छूटे हुये निजी संस्थानो का मास्टर डाटा डिजिटली लॉक किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांकःगोप0 / स0क0छा0–1262 / 2021–22 दिनांक 20.09.2021 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अर्न्तगत छूटे हुये निजी संस्थानो का मास्टर डाटा दिनांक 17.09.2021 से दिनांक 27.09.2021 तक डिजिटली लॉक किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये है।

अतः उक्तवत् के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने निजी संस्थान से शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु मास्टर डाटा डिजिटली लॉक कर उसकी सूचना जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को दिनांक 27.09.2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःउक्तवत्।

भवदीय,

21.9.21
डा0(पूरन सिंह)
उप प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
अलीगढ।

पृ0स0 / 2032–35 / 2021–22 तद्दिनांक–

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1–निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2–सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज।
3–निदेशक, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।

उप प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
अलीगढ।

(ई–मेल)

प्रेषक,

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
समस्त उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः गोप0/स0क0छा0/ 1262 /2021–22 दिनांक 20/09/2021

विषयः– शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु छूटे हुये निजी संस्थानों का मास्टर डाटा डिजिटली लॉक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–106/2021/2666/26–3–2021–4(358)/07/टी0सी0III, समाज कल्याण अनुभाग–3, लखनऊ दिनांक 16.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो शैक्षिक सत्र 2021–22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति एवं दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने हेतु संशोधित समय सारणी से सम्बन्धित है। उक्त शासनादेश द्वारा प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाये) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना, समस्त शिक्षण संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंको को मिलाते हुये) पाठ्यक्रमवार एफिलिएटिंग ऐजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनायें को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करने हेतु तिथि 17 सितम्बर 2021 से 27 सितम्बर 2021 निर्धारित की गयी है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग के शासनादेश सं0–99/2021/2239/26–3–2021–4(358)/07टी0सी0III, समाज कल्याण अनुभाग–3, लखनऊ दिनांक 10.08.2021 द्वारा निर्धारित समय सारिणी के समयान्तर्गत जनपद में संचालित जिन संस्थानों द्वारा उनके स्तर से छात्रवृत्ति हेतु मास्टर डाटा लॉक नहीं किया जा सका है, उन संस्थानों को संशोधित समय सारणी के अनुसार संस्थान का मास्टर डाटा वेबसाइट पर लॉक किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे उनके द्वारा संस्थान का मास्टर डाटा समयार्न्तत लॉक किया जा सकें।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय,

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
20/9/21

पृ0सं0: स0क0छा0/ 1262 /2021–22 तद्दिनांक।

निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
02. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।